Government of India has also received 489 Rural Water Supply schemes costing Rs. 48.94 crores for covering 1229 problem villages affected by excess fluoride and brackishness. These schemes are under examination.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

*70. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अतिशीघ्र गठित किया जाएगा।

Revision of Sugar Policy

*71. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are formulating a revised policy for the sugar Industry to increase the production of sugar without keeping sugarcane growers at the mercy of the sugar mills; and

(b) if so, what are the detailed proposals and incentives to be given to the sugarcane growers?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) The existing policy already provides incentives for larger sugar production while ensuring protection of sugarcane growers interests.

(b) The policy, are recently modified in certain respects, has the following major ingredients:

(i) liberalised licensing;

(ii) announcement of a statutory minimum price for sugarcane;

(iii) incentives for early and late crushing ;

(iv) assistance for supply of good seed of higher yielding varieties; and

(v) support for modernisation and capacity expansion at existing factories.

New Schemes for Agro-Forestry

*72. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new schemes for development of agro-forestry; and

(b) if so, the details thereof;

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Review of the list of Essential Commodities

*73. SHRI BEKAL UTSAHI:
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government propose to review the list of essential commodities under the Essential Commodities Act; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) and (b) The list of items declared as 'essential' under the Essential Commodities Act, 1955 has been reviewed by the Government recently leading to a decision to delete the following items'.—

(1) Cycle tyres and tubes (including cycle rickshaw tyres and tubes).

(2) Fluorescent Tubes.
(3) Rayon Tyres, Yard, Cord Fabric.
(4) Tractors.
(5) Tyres and tubes of scooters (including scooter rickshaw tyres and auto rickshaw tyres).
(6) Tyres and tubes of Cars, Jeeps, Vans, Automobile of any other category whatsoever, Tractors and tractor trollies but excluding tyres and tubes for Buses and Trucks.

नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा खाद्य तेलों को अधिक मूल्यों पर बेचा जाना

*74. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री बलराम सिंह यादव:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1990 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेन्टर टु इम्पोर्ट 100 एम०टी० एडीबल आयल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह नारियल तेल 22 रुपये से 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और सरसों का तेल 17 रुपये से 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से स्वदेशी बाजार में बेचे;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड इन तेलों को दिल्ली और कलकत्ता में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और खाद्य तेलों के मूल्यों में ऐसी वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड नारियल के तेल का कारोबार नहीं करता। बाजार हस्तक्षेप कार्य से संबंधित नीति के अंतर्गत, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को खाद्य तेलों की खरीद, भण्डारण और बिक्री इस तरीके से करनी है कि तेल वर्ष 1989-90 के लिए मूंगफली के तेल के लिए बम्बई और सरसों के तेल के लिए दिल्ली के संकेत बाजारों में थोक मूल्य मुख्यतया 22,000 से 28,000 रुपए प्रति मीटरी टन और 17,000 से 23,000 रुपये प्रति मीटरी टन के बीच रखे जा सकें।

(ग) दिल्ली में, इस समय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा न तो मूंगफली और न ही सरसों का तेल बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। इस समय दिल्ली में परिष्कृत मूंगफली का तेल और परिष्कृत सरसों का तेल, "धारा" के एक लीटर के पैक में क्रमशः 31.50 रुपए और 24.50 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है।

कलकत्ता में, बड़ी मात्रा में सरसों के तेल की बिक्री 24,500/- रुपए प्रति मीटरी टन की दर से की जा रही है ।

(घ) ब्यौरा उत्तर के भाग (ग) में दिया गया है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कलकत्ता में सरसों के तेल की बिक्री बड़ी मात्रा में प्रचलित बाजार दर पर कर रहा है जो बाजार हस्तक्षेप कार्यों के अन्तर्गत इसकी नीति का एक हिस्सा है।

Increased in the prices of essential commodities

*75. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been an abnormal increase in the prices of all essential commodities during the last six months;

(b) if so, what was the progressive monthly price index for essential commodities during the last six months;

(c) the figures for the corresponding periods during the last two years, year wise;

(d) whether any concrete steps have been taken in the recent weeks to bring down the prices of essential commodities; and

(e) if so, whether any results have been achieved as a result thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) There has not been abnormal increase in prices of all essential commodities during the last six months ending 21.7.1990 (between weeks